9 बंधुआ श्रमिक

9.1 बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अधिनियमन के साथ ही 25 अक्तूबर, 1975 से पूरे देश में बंधुआ श्रम प्रथा समाप्त हो गई थी। इसने सभी बंधुआ श्रमिकों को समान रूप से मुक्त कराया था और साथ ही उनके ऋणों का परिसमापन भी कराया था। इसने बंधुआ प्रथा को कानून द्वारा दंडनीय संज्ञेय अपराध बनाया था।

9.2 यह अधिनियम संबंधित राज्य सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

- इस अधिनियम के लागू होने पर, बंधुआ श्रम पद्धति समाप्त हो गयी तथा प्रत्येक बंधुआ श्रमिक मुक्त तथा बंधित श्रम करने की किसी बाध्यता से मुक्त हो गया।
- कोई भी प्रथा, करार अथवा अन्य दस्तावेज जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को बंधुआ श्रम के रूप में किसी को सेवा देना अनिवार्य था, अमान्य थी।
- बंधित ऋण को चुकाने की देयताओं को समाप्त कर दिया गया माना गया था।

  बंधुआ श्रमिकों की जायदाद गिरवी आदि से मुक्त कर दी गयी थी ।
- मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों को उनकी गृह भूमि से अथवा रिहायशी परिसरों से बेदखल नहीं किया जाना था जिस पर वह बंधुआ श्रमिक के रूप में रह रहा था।
- जिलाधीशों को इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए कतिपय कर्त्तव्यों और जिम्मेदारियों का दायित्व सौंपा गया है।
- जिला तथा उप जिला स्तरों पर सतर्कता समितियां बनाने की जरूरत है।
- अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन संबंधी अपराधों के मामले में, एक निर्धारित अवधि जो तीन वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है तक का कारावास तथा जुर्माना जो कि दो हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है,से दंडित किया जा सकता है।
- इस अधिनियम के अधीन अपराधों की सुनवाई हेतु न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियां कार्यकारी दंडाधिकारी को सौंपा जाना आवश्यक है। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की सरसरी तौर पर न्यायिक जांच की जा सकती है ।
- इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय तथा जमानती है।

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीयकृत रूप से प्रायोजित प्लान स्कीम

9.3 राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, श्रम मंत्रालय ने बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए मई,1978 में केन्द्रीयकृत रूप से प्रायोजित प्लान स्कीम प्रारम्भ की थी। इस स्कीम के अंतर्गत, राज्य सरकारों को बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए बराबर आधार पर (50:50) केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। उक्त योजना स्कीम में बंधुआ श्रमिकों की पहचान करने के लिए जिले-वार सर्वे कराने, जागरूकता सृजन क्रियाकलापों और मूल्यांकन अध्ययनों के लिए 100% सहायता मुहैया कराने हेतु मई, 2000 में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। पुनर्वास अनुदान को भी प्रति पहचान किए गए बंधुआ श्रमिक के लिए 10,000/-रुपये से बढ़ाकर 20,000/-रुपये प्रति पहचान किए गए बंधुआ श्रमिक कर दिया गया

है। इसके अलावा, सात (7) पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में, यदि वे अपना बराबर का अंशदान मुहैया कराने में असफल रहते हैं तो 100% पुनर्वास अनुदान प्रदान किया जाता है।

9.4 उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी गई है कि बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीयकृत रूप से प्रायोजित स्कीम को अन्य गरीबी उन्मूलन योजनाओं जैसे स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एस.जे.जी. एस.आर.वाई.), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना, जनजाति उप-योजना आदि के साथ एकीकृत करें/जोड़ें। तदनुसार, मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए पुनर्वास पैकेज में निम्नलिखित बड़े घटक शामिल हैं :

- मकान-स्थान तथा कृषि भूमि का आबंटन;
- भूमि विकास;
- कम लागत वाली आवासीय इकाइयों का प्रावधान;
- पशुपालन, डेयरी, मुर्गीपालन, सूअर पालन इत्यादि;
- नए कौशल प्राप्त करने तथा वर्तमान कौशलों का विकास करने हेतु प्रशिक्षण;
- मजदूरी रोजगार, न्यूनतम मजदूरी का प्रवर्तन इत्यादि;
- लघु जंगल उत्पादों को एकत्र करना तथा प्रसंस्करण करना;
- लक्षित जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति;
- बच्चों को शिक्षित करना; तथा
- नागरिक अधिकारों की सुरक्षा।

9.5 जैसा कि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बताया गया है 31.03.2009 तक पहचान किए गए/छुड़ाए गए तथा पुनर्वास किए गए बंधुआ मजदूरों तथा उपरोक्त केन्द्रीयकृत रूप से प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा **सारणी 9.1** में दिया गया है।

9.6 इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, नागालैण्ड, उत्तर प्रदेश, और उत्तराखंड को 31.3.2009 तक बंधुआ श्रमिकों का सर्वेक्षण कराने, मूल्यांकन अध्ययन कराने और जागरूकता सृजन कार्यक्रमों के लिए 622.60 लाख रुपये की राशि निर्गत की गई है।

विशेष समूह

9.7 पी एम ओ के अनुसरण में, सचिव (श्रम एवं रोजगार) की अध्यक्षता में गठित एक विशेष ग्रुप, जिसमें महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान (डी जी फासली), रेलवे तथा शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं, ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के प्रतिनिधियों के साथ क्षेत्र-वार पन्द्रह बैठकों का आयोजन करके बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के क्रियान्वयन की समीक्षा की।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका

9.8 उच्चतम न्यायालय ने पी यू सी एल बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्यों के मामले में अपने दिनांक 11.11.1997 के आदेश में निदेश दिया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) को बंधुआ मजदूरों से संबंधित मुद्दों के पर्यवेक्षण में शामिल किया जाए। उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में, एन एच आर सी में एक केन्द्रीय ग्रुप का गठन किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के सहयोग से यह ग्रुप बंधुआ श्रमिकों की पहचान करने, उन्हें मुक्त कराने और पुनर्वासित करने के लिए जिला मैजिस्ट्रेटों और अन्य कार्यकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए राज्य मुख्यालयों पर बंधुआ श्रमिकों के बारे में सुग्राहीकरण कार्यशाला का आयोजन करता रहा है।

9.9 सरकार द्वारा बंधुआ श्रमिकों की पहचान और पुनर्वास के लिए विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, जागरूकता, सुग्राहीकरण आदि के माध्यम से ठोस प्रयास किए गए हैं। **सारणी 9.2** 1997-98 से वर्षवार पहचान किए गए और पुनर्वास किए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या दर्शाती है।

सारणी 9.1

31.03.2009 तक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीम के अंतर्गत पहचान किए गए, मुक्त कराये गए तथा पुनर्वास किये गये बंधुआ श्रमिकों की संख्या

राज्य सरकार का नाम	बंधुआ श्रमिकों की संख्या		
	चिन्हित किए गए और मुक्त कराये गए	पुनर्वासित	प्रदान की गयी केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये में)
आन्ध्र प्रदेश	37,988	31,534	850.00
अरुणाचल प्रदेश	3,526	2,992	568.48
बिहार	14,351	135,33	454.38
छत्तीसगढ़	124	124	12.40
गुजरात	64	64	1.01
हरियाणा	591	89	4.93
झारखंड	196	196	19.60
कर्नाटक	63,437	57,185	1578.18
केरल	823	710	15.56
मध्य प्रदेश	13,317	12,392	164.49
महाराष्ट्र	1,404	1,325	15.52
उड़ीसा	50,029	46,901	903.34
पंजाब	69	69	6.90
राजस्थान	7,488	6,331	72.42
तमिलनाडु	65,573	65,573	1661.94
उत्तर प्रदेश	28,846	28,846	633.30
उत्तराखंड	5	5	0.50
पश्चिम बंगाल	267	267	20.41
कुल	**2,88,098***	**2,68,136**	**6983.36**

टिप्पणी:

- * 19962 बंधुआ श्रमिक पुनर्वास के लिए उपलब्ध नहीं हैं या तो उनकी मृत्यु हो गयी है अथवा उन्होंने अपने पते दिए बिना स्थान छोड़ दिया है।
- * राज्य सरकारों द्वारा बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राज्य के अंश के रूप में 6983.36 लाख रुपये के बराबर पुनर्वास अनुदान भी प्रदान किया गया है।
- * अरुणाचल प्रदेश के मामले में, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 568.48 लाख रुपये की 100% केन्द्रीय सहायता धनराशि प्रदान की गयी है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के मामले में, बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए 100% केन्द्रीय अनुदान (राज्यों के बराबर अंश के बिना) प्रदान किया जाता है।

सारणी 9.2

1997-98 से वर्ष वार पहचान किए गए और पुनर्वास किए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या

वर्ष	सूचित बंधुआ श्रमिकों की घटना
1997-1998	6000
1998-1999	5960
1999-2000	8195
2000-2001	5256
2001-2002	3929
2002-2003	2198
2003-2004	2465
2004-2005	866
2005-2006	397
2006-2007	197
2007-2008	716
2008-2009	543